

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ०ए०एस०

मु.सं.
80/16

दायरा दिनांक
20.04.2016

निर्णय दिनांक
12/2/2018

अनुवान

1. जसवन्त पुत्र श्री शादी जाति अहीर निवासी ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज०

बनाम

1. मेहरचन्द
2. जयलाल पुत्रान श्री शादी जाति अहीरान निवासीयान ग्राम कुतुबपुर तह० कोटकासिम जिला-अलवर राज०
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भौंकर जरिये शाखा प्रबंधक भौंकर
4. श्रीमान उप-पंजियक महोदय, कोटकासिम तह० कोटकासिम
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह० कोटकासिम जिला-अलवर राज०

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरुस्ती इन्द्राज मय
तकासमा आराजी बमय हुक्मईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा
88,89,53 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम सन 1955

उपस्थित:-

1. श्री खुशीराम अभिभाषक वादी

वादी ने मय वकील उपस्थित होकर इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा इश्तकरार हक मय दुरुस्ती इन्द्राज मय तकासमा आराजी बमय हुक्मईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 53 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम सन 1955 आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 86/0-18, 91/0-18, 91/0-18, 436/0-11, 980/1-100, 1155/3-05, 1282/586/0-04, 588/0-08, 1281/590/1-05 बीघा वाके ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज० में स्थित है। जो किइस वादपत्र में विवादित आराजीयात कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 तक संलग्न वादपत्र है। आराजीयात जो भी मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 व चन्दन पुत्र श्री शादी के पिताजी श्री शादी के नाम थी उसका बाहमी बटवारा सन् 1976 में ही हमारे पिताजी शादी ने अपने जीवनकाल में ही हम चारो भाईयो के बीच कर दिया था। उसी बाहमी बटवारा के अनुसार ही हम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

(2)

चारों भाई मौके पर काबिज व दखिल होकर काशत करने लग गये थे। मिन वादी के बड़े भाई चन्दन का भी रिकोर्डेड बटवारा बाहमी बटवारा के अनुसार कर दिया है। जिसका अमल राजस्व जमाबंदी में हो रहा है। जबकि आज भी मिन वादी बाहमी बटवारा के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बरान 86/0-18, 91/0-18, 436/1-18, 980/1-00, 1155/586/3-05, 1282/586/0-04 बीघा सम्पूर्ण पर व 588/-08 बीघा में से अपने 02 बिस्वा पर 1281/590/1-05 बीघा में से अपने 0-11 बिस्वा पर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के साथ सामलात में काबिज व दखिल होकर काशत करता चला आ रहा हूँ। मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा काशत है। परन्तु प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 आये रोज मिन वादी के सामलाती हिस्से के कब्जा काशत से मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते हैं व विवादित आराजीयात को बिना बटायें ही निर्माण कार्य करना व विवादित आराजीयात रिकोर्ड में सामलाती होने का बेजा फायदा उठाते हुये दीगर लोगो को बेचान करना चाहते हैं। दिनांक 18/04/2016 को मिन वादी ने प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से इस बाहमी बटवारा को राजस्व रिकोर्ड्स में अमल दरामद करने हेतु कहा तो वो साफ इंकार हो गये और मिन वादी को ऐलानिया तौर पर धमकियाँ दी कि विवादित आराजीयात आजस्व रिकोर्ड्स में सामलाती है जिसका हम बेजा फायदा उठाते हुये दीगर लोगो को बेचान करेगे और तेरे हक हिस्से में आई हुई आराजीया तमे निर्माण कार्य करेगे और तुझे जबरन बेदखल कर अपना कब्जा करेगे तुझे काशत नहीं करने देगे। इसलिये मिन वादी बाहमी बटवारा के अनुसार आई हुई विवादित आराजीयात 86/0-18, 91/0-18, 436/0-18, 980/1-00, 1155/3-05, 1282/586/0-04 बीघा सम्पूर्ण का व 588/0-8 बीघा मे से अपने 02 बिस्वा का व 1281/590/1-05 बीघा मे से अपने 0-11 बीघा का खातेदार काशतकार घोषित कराने का अधिकारी और इस हद तक प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम कलमजन कराने का और इसी कदनर मिन वादी अपने नाम का अमल राजस्व रिकॉर्ड में दरामद करवाने का व तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस कुरेजात कायम कर अलग खाता करवाने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं इस लिए इनके खिलाफ 23.08.2016 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि उपरोक्त अनुवानी वाद में आराजीयात ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम में स्थित होकर पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है। विवादित आराजी आर0जी0बी0 शाखा भौंकर रहन होने के कारण बैंक को सुना जाना आवश्यक है। वाद में तनकीयात कायम की गई।

1. आय वादी विवादित आराजीयात में बाहमी बटवारे अनुसार सामलात में काबिज व दखिल होकर काशत कर रहे हैं।


— जिम्मे वादी

2. आया वादी विवादित आराजी ख0न0 86, 91,436, 980, 1155, 1282/586 सम्पूर्ण व 588/0-08 में से 02 बिस्वा 1281 /586/1-05 में से 11 बिस्वा का खातेदार काशतकार घोषित कराने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का राजस्व रिकॉर्ड से नाम कलमजन कराने व बाईमीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

3. विवादित आराजीयात में पक्षकारान का आपसी विवाद है। विवादित आराजी आर0जी0बी0 शाखा भौंकर मे रहन है। इस लिए बैंक को सुना जाना अपेक्षित है।

—जिम्मे प्रतिवादी संख्या 05


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

(3)


वादी ने साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 जसवन्त, पी0डब्लू0 2 तुलसीराम, पी0डब्लू0 3 हेमकरण के शपथ पत्र पेश किये वाद को राजस्व अभियान कैम्प 2017 में दिनांक 23.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई व तहसीलदार कोटकासिम को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाकर इस न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया । तहसीलदार कोटकासिम ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किये।

विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। वादी अधिवक्ता ने मुताबिक कुरेकायमी वाद फाईनल डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की ।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त कुरेकायमी पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक कुरेकायमी पर अपनी सहमति प्रकट की है।

अतः मुताबिक कुरेकायमी वादी का वाद इस प्रकार फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 86/0-18, 91/0-18, 436/0-18, 980/1-00, 1155/3-05, 1284/586/2/0-04, 588/2/0-02, 1281/590/2/0-11 किता 8 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम कुतुबपुर में जसवन्त पुत्र शादी कोम अहीर सा0 देह खातेदार राहिन आर0जी0बी0 शाखा भौंकर रहेगी। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 72/1-00, 1289/284/2-04, 1286/325/1-08, 357/0-17, 368/0-17, 404/1-05, 1284/586/1/0-04, 588/1/0-06, 1281/590/1/0-14, 1279/590/0-04, 1282/586/0-04, 734/4-13, 1288/932/1-12, किता 13/15 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम कुतुबपुर में मेहरचन्द, जयलाल, पुत्रान शादी कोम अहीर साकिन देह खातेदार राहिन आर0जी0बी0 भौंकर रहेगी । इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक.....12/02/2018.....को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0
कोटकासिम (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मु.सं.
80/16

दायरा दिनांक
20.04.2016

निर्णय दिनांक
12/02/2018

अनुवान

1. जसवन्त पुत्र श्री शादी जाति अहीर निवासी ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज0

बनाम

1. मेहरचन्द
2. जयलाल पुत्रान श्री शादी जाति अहीरान निवासीयान ग्राम कुतुबपुर तह0 कोटकासिम जिला-अलवर राज0
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भौंकर जरिये शाखा प्रबंधक भौंकर
4. श्रीमान उप-पंजियक महोदय, कोटकासिम तह0 कोटकासिम
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला-अलवर राज0

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरुस्ती इन्द्राज मय
तकासमा आराजी बमय हुक्मईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा
88,89,53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन 1955

अतः मुताबिक कुरेकायमी वादी का वाद इस प्रकार फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 86/0-18, 91/0-18, 436/0-18, 980/1-00, 1155/3-05, 1284/586/2/0-04, 588/2/0-02, 1281/590/2/0-11 किता 8 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम कुतुबपुर में जसवन्त पुत्र शादी कोम अहीर सा0 देह खातेदार राहिन आर0जी0बी0 शाखा भौंकर रहेगी। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 72/1-00, 1289/284/2-04, 1286/325/1-08, 357/0-17, 368/0-17, 404/1-05, 1284/586/1/0-04, 588/1/0-06, 1281/590/1/0-14, 1279/590/0-04, 1282/586/0-04, 734/4-13, 1288/932/1-12, किता 13/15 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम कुतुबपुर में मेहरचन्द, जयलाल, पुत्रान शादी कोम अहीर साकिन देह खातेदार राहिन आर0जी0बी0 भौंकर रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/2/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)